



2026:AHC:12444

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

एफ.ए.एफ.ओ. संख्या 1282 वर्ष 2017

लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा एवं अन्य ...अपीलकर्ता

बनाम

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य ...प्रतिवादी

अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता : श्री अमित कुमार सिन्हा, श्रीमती दीपाली श्रीवास्तव सिन्हा  
प्रतिवादियों के लिए अधिवक्ता: श्री राजेश कुमार

न्यायालय संख्या – 38

ए.एफ.आर.

(माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन द्वारा प्रदत्त)

1. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत प्रतिकर में वृद्धि हेतु यह अपील याचिकाकर्ताओं द्वारा आक्षेपित निर्णय एवं अधिनिर्णय दिनांक 31.01.2017, जो मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 1, गोरखपुर द्वारा एम.ए.सी.पी. संख्या 322 वर्ष 2013 (लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा एवं अन्य बनाम बृजेश सिंह एवं अन्य) में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा 02.05.2013 को हुई मोटर दुर्घटना में श्रीमती कुसुमलता मिश्रा की असामयिक मृत्यु के लिए याचिकाकर्ताओं को ₹11,93,204/- की राशि, वार्षिक 7% की दर से ब्याज सहित, प्रदान की गई है, जिसे आक्षेपित बस संख्या UP53-BT-7702 के बीमाकर्ता द्वारा वहन किए जाने का निर्देश दिया गया है।

2. चूँकि आक्षेपित वाहन के स्वामी, चालक एवं बीमाकर्ता द्वारा कोई प्रतिअपील प्रस्तुत नहीं की गई है, अतः दुर्घटना की घटना तथा आक्षेपित चालक की लापरवाही का तथ्य प्रतिवादियों द्वारा विवादित नहीं है।

3. याचिकाकर्ता-अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कुसुमलता मिश्रा (मृतका) जिला कुशीनगर के हाटा स्थित महिला एवं बाल कल्याण विभाग में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थीं तथा उन्हें ₹40,156/- प्रति माह का सकल वेतन प्राप्त होता था, जिसे पीडब्ल्यू-3 विजय लक्ष्मी ओझा द्वारा भी सिद्ध किया गया।

4. यह भी प्रस्तुत किया गया कि दुर्घटना के समय मृतका की आयु लगभग 58 वर्ष थी, किन्तु अधिकरण द्वारा मृतका की भविष्यगत संभावनाओं के संबंध में कोई प्रतिकर प्रदान नहीं किया गया, जबकि याचिकाकर्ता गण उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली, 1998 के नियम 220-ए के अनुसार 20% की दर से इसका लाभ प्राप्त करने के अधिकारी थे।

5. यह भी प्रस्तुत किया गया कि अधिकरण द्वारा प्रतिकर निर्धारण हेतु मृतका को प्रदत्त मकान किराया भत्ता तथा परिवार नियोजन भत्ता को अवैध रूप से विचार में नहीं लिया गया,

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



जबकि प्रतिकर के निर्धारण के लिए मृतका को देय सकल वेतन को ही विचार किया जाना चाहिए था।

6. यह भी प्रस्तुत किया गया कि मृतका का सकल वार्षिक वेतन ₹4,81,872/- था, जिस पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-सी के अंतर्गत ₹1,00,000/- की छूट प्राप्त करने के उपरांत ₹18,800/- आयकर देय था, जिसे प्रतिकर के निर्धारण हेतु अधिकरण द्वारा घटाया जाना चाहिए था, किन्तु अधिकरण ने मृतका द्वारा देय आयकर के रूप में ₹21,543/- की राशि की कटौती कर दी, जो कि अधिक थी।

7. यह भी प्रस्तुत किया गया कि मृतका की आयु, जो दुर्घटना के समय लगभग 58 वर्ष थी, को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिकर निर्धारण हेतु 9 का गुणक लागू किया जाना चाहिए था, किन्तु अधिकरण ने केवल 4 का गुणक लागू किया है, जिसमें वृद्धि अपेक्षित है।

8. यह भी प्रस्तुत किया गया कि अधिकरण द्वारा गैर-आर्थिक मर्दों के अंतर्गत प्रतिकर की जो राशि प्रदान की गई है, वह अपर्याप्त है, जिसमें पर्याप्त वृद्धि किया जाना आवश्यक है।

9. इन प्रस्तुतियों के साथ यह प्रार्थना की गई कि याचिकाकर्ता-अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अपील को अनुमन्य किया जाए तथा उन्हें बढ़ा हुआ प्रतिकर प्रदान किया जाए।

10. इसके विपरीत, प्रतिवादी-बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिकरण ने याचिकाकर्ताओं को भविष्यगत संभावनाओं के अंतर्गत प्रतिकर प्रदान किए जाने के पहलू पर विचार किया था, किन्तु इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि चूँकि मृतका के पति को ₹23,632/- प्रतिमाह की पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो रही थी तथा मृतका के पुत्र को भी अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई थी, अतः इस आधार पर अधिकरण ने मृतका के भविष्यगत संभावनाओं के अंतर्गत किसी भी प्रतिकर को प्रदान करने से इंकार किया, जो पूर्णतः उचित है और इस

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



न्यायालय द्वारा अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

11. यह भी प्रस्तुत किया गया कि वाद की तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अधिकरण द्वारा याचिकाकर्ताओं को उचित प्रतिकर प्रदान किया गया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में किसी प्रकार की वृद्धि अपेक्षित नहीं है।

12. इन प्रस्तुतियों के साथ यह प्रार्थना की गई कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किया जाए।

13. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अपील के साथ प्रस्तुत आक्षेपित निर्णय एवं अभिलेखों का परिशीलन किया है।

14. उच्चतम न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम इंदिरा श्रीवास्तव एवं अन्य (2008) 2 एससीसी 763 के मामले में यह धारित किया है कि नियोक्ता द्वारा मृतक को परिलाभ (perks) के रूप में दी गई राशि को उसकी मासिक आय के निर्धारण हेतु सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि वह राशि परिवार के भरण-पोषण हेतु उसके मासिक योगदान में जुड़ती है, न कि ऐसी राशि जो केवल उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए हो। साथ ही यह भी कहा गया है कि उक्त आय में से वैधानिक रूप से देय कर की राशि की कटौती की जानी चाहिए। आगे यह भी धारित किया गया कि शुद्ध आय का सामान्यतः अर्थ सकल आय में से वैधानिक कटौतियाँ घटाने से होता है।

15. उच्चतम न्यायालय ने श्यामवती शर्मा एवं अन्य बनाम करम सिंह एवं अन्य (2010) 12 एससीसी 378 तथा मानसवी जैन बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य (2014) 13 एससीसी 22 (तीन न्यायाधीशों की पीठ) के मामलों में यह धारित किया है कि

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



मृतक की आय का निर्धारण करते समय वेतन प्रमाण-पत्र में दर्शाई गई वे कटौतियाँ, जो सामान्य भविष्य निधि (GPF), जीवन बीमा प्रीमियम, ऋणों के पुनर्भुगतान आदि के रूप में की गई हों, उन्हें आय से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। केवल आयकर/अधिभार के रूप में की गई कटौती को ही मृतक की शुद्ध आय निर्धारित करने हेतु ध्यान में रखा जाना चाहिए।

16. उपरोक्त उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि दावा वाद में प्रतिकर का आकलन करते समय नियोक्ता द्वारा मृतक को प्रदत्त सभी भत्तों को उसकी आय के निर्धारण में सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा केवल आयकर एवं अधिभार के रूप में की गई कटौती को ही मृतक की शुद्ध आय निर्धारित करने हेतु विचार में लिया जाना चाहिए।

17. यह विधिसम्मत रूप से स्थापित है कि दावा वाद में प्रतिकर के निर्धारण हेतु मृतक-नियोजित व्यक्ति का सकल वेतन ही विचार में लिया जाना चाहिए, अतः अधिकरण द्वारा मृतका को प्रदत्त मकान किराया भत्ता तथा परिवार नियोजन भत्ता के संबंध में की गई कटौती त्रुटिपूर्ण है।

18. यह स्पष्ट है कि मृतका का सकल मासिक वेतन ₹40,156/- था, जो वार्षिक ₹4,81,872/- होता है, जिसे पीडब्ल्यू-3 विजय लक्ष्मी ओझा द्वारा विधिवत सिद्ध किया गया तथा अधिकरण द्वारा भी स्वीकार किया गया। किन्तु अधिकरण ने मकान किराया भत्ता के रूप में ₹11,040/- तथा परिवार नियोजन भत्ता के रूप में ₹5,400/- की कटौती कर दी और इसके पश्चात मृतका की वार्षिक आय ₹4,65,432/- निर्धारित की। उक्त राशि में से आगे ₹21,543/- आयकर के रूप में भी घटाया गया और तत्पश्चात अधिकरण ने ₹4,43,889/- की शुद्ध वार्षिक आय के आधार पर प्रतिकर का निर्धारण किया, जो कि त्रुटिपूर्ण है।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

19. यह स्पष्ट है कि प्रतिकर का आकलन करते समय मृतका को प्राप्त मकान किराया भत्ता तथा परिवार नियोजन भत्ता की कोई भी राशि नहीं काटी जा सकती थी।

20. यह भी स्पष्ट है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-सी के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के पश्चात केवल ₹18,800/- की राशि मृतका द्वारा आयकर के रूप में देय थी, जिसे मृतका के सकल वार्षिक वेतन ₹4,81,872/- में से घटाया जाना चाहिए था, किन्तु अधिकरण ने ₹21,543/- की राशि की कटौती कर दी, जो अधिक थी। यदि मृतका की सकल आय ₹4,81,872/- में से देय आयकर ₹18,800/- घटाया जाए तो उसकी शुद्ध वार्षिक आय ₹4,63,072/- आती है, जिसके आधार पर प्रतिकर का निर्धारण किया जाना चाहिए था, किन्तु अधिकरण ने मृतका की शुद्ध आय केवल ₹4,43,889/- मानकर प्रतिकर का निर्धारण किया है, जिसमें वृद्धि अपेक्षित है।

21. यह भी स्पष्ट है कि मृतका की सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि 10.12.1954 के अनुसार दुर्घटना के समय उसकी आयु लगभग 58 वर्ष थी तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय प्रणय सेठी (उपरोक्त) के अनुसार प्रतिकर के निर्धारण हेतु 9 का गुणक लागू किया जाना चाहिए था, किन्तु अधिकरण ने केवल 4 का गुणक लागू करके प्रतिकर का आकलन किया है, जो कि वृद्धि योग्य है।

22. यह भी स्पष्ट है कि अधिकरण द्वारा गैर-आर्थिक मदों के अंतर्गत प्रतिकर की जो राशि प्रदान की गई है, वह अपर्याप्त है, जिसमें पर्याप्त वृद्धि किया जाना आवश्यक है, उच्चतम न्यायालय के प्रणय सेठी (उपरोक्त), मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) तथा राहुल गणपतराव साळवे (उपरोक्त) के निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए।

23. उच्चतम न्यायालय ने सेबास्टियानी लकड़ा एवं अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य, (2019) 17 एससीसी 465 (तीन न्यायाधीशों की पीठ), के मामले में प्रतिकर के निर्धारण हेतु घटाई जाने वाली राशियों के संबंध में विचार करते हुए निम्नलिखित धारित किया है:-

12. यह विधि सुव्यवस्थित रूप से स्थापित है कि प्रतिकर की राशि में से न तो बीमा के आधार पर, न ही पेंशन संबंधी लाभों, न ग्रेच्युटी अथवा मृतक के परिजन को प्रदान की गई रोजगार की अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर कोई कटौती की जा सकती है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये सभी राशियाँ मृतक द्वारा अपने जीवनकाल में अन्य पक्षों के साथ किए गए संविदात्मक संबंधों के आधार पर अर्जित की जाती हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि ये राशियाँ मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु के कारण मृतक के आश्रितों या विधिक उत्तराधिकारियों को प्राप्त हुई हैं। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत याचिकाकर्ता/आश्रित मृतक की मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु के परिणामस्वरूप “न्यायसंगत प्रतिकर” प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः इसका स्वाभाविक निष्कर्ष यह है कि मृतक की संपत्ति या उसके आश्रितों को किसी संविदा या ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाला लाभ, जिसे मृतक ने अपने जीवनकाल में किया था, उसकी मृत्यु का परिणाम या फल नहीं कहा जा सकता, यद्यपि ये राशियाँ उसकी मृत्यु के पश्चात ही आश्रितों के हाथ में आती हैं।

13. जहाँ तक किसी बीमा पॉलिसी के अंतर्गत दी गई राशि का प्रश्न है, जो भी राशि मृतक की संपत्ति या उसके आश्रितों में जुड़ती है, वह मृतक की मृत्यु के कारण नहीं होती, बल्कि उस अनुबंध के कारण होती है जो मृतक ने बीमा कंपनी के साथ किया होता है, जिससे उसने पॉलिसी ली होती है। मृतक ने ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी के

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



लिए प्रीमियम का भुगतान किया होता है और यह राशि या तो पॉलिसी की परिपक्वता पर या उसकी मृत्यु पर, मृत्यु के तरीके से स्वतंत्र रूप से, उसकी संपत्ति में प्राप्त होती है। ये राशियाँ इसलिए प्रदान की जाती हैं क्योंकि मृतक ने अपने बचत को विवेकपूर्ण ढंग से निवेश किया होता है। इसी प्रकार की स्थिति अन्य निवेशों जैसे बैंक जमा, शेयर, डिबेंचर आदि के मामले में भी होती है। अपकृत्यकर्ता (tortfeasor) मृतक द्वारा किए गए दूरदर्शितापूर्ण एवं विवेकपूर्ण वित्तीय निवेशों का लाभ नहीं उठा सकता।

14. जहाँ तक पेंशन और ग्रेच्युटी की राशि का प्रश्न है, ये मृतक द्वारा अपने नियोक्ता को दी गई सेवा के प्रतिफल के रूप में दी जाती हैं। यह अब सेवा विधिशास्त्र का स्थापित सिद्धांत है कि पेंशन और ग्रेच्युटी मृतक की संपत्ति होती हैं। ये वास्तव में स्थगित वेतन (deferred wages) के स्वरूप में होती हैं। मृतक कर्मचारी अपने जीवनभर इस अपेक्षा के साथ कार्य करता है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात उसे पेंशन एवं ग्रेच्युटी के रूप में पर्याप्त राशि प्राप्त होगी। ये राशियाँ मृत्यु की स्थिति में भी देय होती हैं, चाहे मृत्यु का कारण कुछ भी हो। अतः समान सिद्धांतों को लागू करते हुए, उक्त राशि की कटौती नहीं की जा सकती।

15. जैसा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पैरी बनाम क्लीवर [Parry v. Cleaver, 1970 एसी 1 : (1969) 2 डब्ल्यूएलआर 821 : 1969 एसीजे 363 (एचएल)] के मामले में धारित किया गया है, बीमा की राशि पूर्व में भुगतान किए गए प्रीमियम का फल है, पेंशन पहले से प्रदान की गई सेवाओं का फल है और अपकृत्यकर्ता (wrongdoer) को यह लाभ नहीं दिया जाना चाहिए कि उसे प्रतिकर की गणना से इन्हें घटाकर लाभ प्राप्त हो।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



16. कटौती केवल तभी आदेशित की जा सकती है जब अपकृत्यकर्ता न्यायालय को यह संतुष्ट कर दे कि वह राशि याचिकाकर्ताओं को केवल मोटर वाहन दुर्घटना में मृतक की मृत्यु के कारण ही प्राप्त हुई है।

24. उच्चतम न्यायालय ने हनुमंतराजु बी. (विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से) बनाम एम. अकरम पाशा एवं अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1106 के मामले में, यह विचार करते हुए कि क्या याचिकाकर्ता को देय पेंशन को उसकी आय के निर्धारण हेतु घटाया जा सकता है, निम्नलिखित धारित किया है:-

19. यह भी अब विधिसम्मत रूप से स्थापित है कि वेतनभोगी व्यक्तियों के संबंध में घायल/मृतक के अंतिम आहरित वेतन के आधार पर प्रतिकर का निर्धारण किया जाना चाहिए तथा पेंशन एवं ऐसे सेवानिवृत्ति लाभ, जो उसे प्राप्त हो रहे हैं, उनकी आय के निर्धारण हेतु कटौती नहीं की जा सकती, क्योंकि ये कर्मचारी या उसके विधिक उत्तराधिकारियों के वैधानिक अधिकार हैं, जो किसी भी अप्रत्याशित घटना जैसे दुर्घटना, घातक चोट आदि से स्वतंत्र रूप से देय होते हैं तथा ऐसे पेंशन संबंधी लाभ मोटर दुर्घटना से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते। अतः पेंशन लाभ को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत प्रतिकर के निर्धारण हेतु “आर्थिक लाभ” (pecuniary advantage) मानकर उसकी कटौती नहीं की जा सकती।

इस विधिक सिद्धांत के लिए हम विमल कंवर बनाम किशोर दान (2013) 7 एससीसी 476 के निर्णय का संदर्भ ले सकते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने हेलेन सी. रेबेलो बनाम महाराष्ट्र एसआरटीसी (1999) 1 एससीसी 90 के पूर्व निर्णय का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित धारित किया है:-

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



719. उपरोक्त प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष हेलेन सी. रेबेलो बनाम महाराष्ट्र एसआरटीसी [(1999) 1 एससीसी 90 : 1999 एससीसी (क्रि) 197] के मामले में विचारार्थ आया था। उक्त मामले में इस न्यायालय ने यह धारित किया था कि भविष्य निधि, पेंशन, बीमा तथा इसी प्रकार नकद राशि, बैंक शेष, शेयर, सावधि जमा आदि सभी “आर्थिक लाभ” (pecuniary advantage) हैं जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त होते हैं, किन्तु इनका उस राशि से कोई संबंध नहीं है जो केवल दुर्घटनात्मक मृत्यु के कारण विधि के अंतर्गत देय होती है। ऐसे लाभ मोटर वाहन अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं ताकि उन्हें “आर्थिक लाभ” मानकर कटौती योग्य माना जाए। इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अवलोकन एवं निष्कर्ष दिए गए थे : (एससीसी पृ. 111-12, पैरा 35)

735. व्यापक रूप से हम भविष्य निधि की प्राप्ति का परीक्षण कर सकते हैं, जो एक स्थगित भुगतान है और सेवा अवधि के दौरान कर्मचारी द्वारा किए गए अंशदान से प्राप्त होता है। ऐसा कर्मचारी या उसके उत्तराधिकारी इस राशि को दुर्घटनात्मक मृत्यु के बावजूद प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। यह राशि सुरक्षित होती है तथा निश्चित रूप से प्राप्त होती है, जबकि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत देय राशि अनिश्चित होती है और केवल उस घटना के घटित होने पर ही देय होती है, अर्थात् दुर्घटना, जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसी प्रकार पारिवारिक पेंशन भी कर्मचारी द्वारा सेवा शर्तों के अंतर्गत सेवा में दिए गए योगदान के प्रतिफल के रूप में उसके परिवार के लाभ हेतु अर्जित की जाती है, जो उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती है। उत्तराधिकारी पारिवारिक पेंशन को अन्यथा भी प्राप्त करते हैं, केवल दुर्घटनात्मक मृत्यु के कारण ही नहीं। दोनों के बीच कोई सह-संबंध

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



नहीं है। इसी प्रकार जीवन बीमा पॉलिसी भी बीमित व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारियों को बीमाकर्ता के साथ किए गए अनुबंध के कारण प्राप्त होती है, जिसके लिए बीमित व्यक्ति प्रीमियम के रूप में भुगतान करता है। यह राशि बीमित व्यक्ति को भी प्राप्त हो सकती है यदि वह सभी प्रीमियम का भुगतान करने के पश्चात पॉलिसी की परिपक्वता तक जीवित रहता है। मृत्यु की स्थिति में बीमाकर्ता अनुबंध के अनुसार, प्रीमियम के बदले में बीमित राशि का भुगतान उत्तराधिकारियों को करता है। यह राशि भी याचिकाकर्ता को दुर्घटनात्मक मृत्यु के कारण नहीं, बल्कि बीमित व्यक्ति की मृत्यु के कारण प्राप्त होती है। मृत्यु केवल अनुबंध के अनुसार उस राशि को प्राप्त करने की एक घटना या शर्त मात्र है। इसी प्रकार नकद राशि, बैंक शेष, शेयर, सावधि जमा आदि यद्यपि सभी मृतक की मृत्यु के कारण उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ हैं, किन्तु इनका उस राशि से कोई सह-संबंध नहीं है जो विधि के अंतर्गत केवल दुर्घटनात्मक मृत्यु के कारण देय होती है। ऐसी राशि मोटर वाहन अधिनियम के परिधि में कैसे आ सकती है ताकि उसे “आर्थिक लाभ” (pecuniary advantage) कहा जाए और उसकी कटौती की जाए। जब हम हानि और लाभ के सिद्धांत को देखते हैं, तो यह आवश्यक है कि वे समान स्तर पर हों तथा उनके बीच पारस्परिक संबंध (nexus) हो, न कि ऐसे जिनमें कोई भी सह-संबंध का आभास भी न हो। बीमित व्यक्ति (मृतक) अपनी स्वयं की राशि का योगदान करता है, जिसके बदले में उसे वह राशि प्राप्त होती है, जिसका दुर्घटना के कारण देय प्रतिकर से कोई संबंध नहीं होता, जो अपकृत्यकर्ता की लापरवाही के कारण निर्धारित किया जाता है। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, अधिनियम के अंतर्गत देय प्रतिकर राशि चोट या मृत्यु के कारण बिना किसी योगदान के प्राप्त होती है, तो फिर बीमित व्यक्ति द्वारा किए गए

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

योगदान से प्राप्त राशि के लाभ को मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत देय राशि में से कैसे घटाया जा सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त राशि बिना किसी योगदान के प्राप्त होती है। जैसा कि हमने कहा, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत देय प्रतिकर विधिक (statutory) है, जबकि जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त राशि संविदात्मक (contractual) होती है।

इस प्रकार, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से धारित किया है कि भविष्य निधि (PF), पेंशन अथवा बीमा के अंतर्गत प्राप्त होने वाली कोई भी राशि पीड़ित के वेतन से आय अथवा आय-हानि के निर्धारण हेतु प्रतिकर की गणना के लिए नहीं घटाई जा सकती। इस सिद्धांत को रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शशी शर्मा (2016) 9 एससीसी 627 तथा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बिरेंद्र (2020) 11 एससीसी 356 के मामलों में पुनः दोहराया गया है।

25. उच्चतम न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रेखाबेन एवं अन्य (2017) 13 एससीसी 547 के मामले में निम्नलिखित धारित किया है:-

22. वर्तमान मामलों में याचिकाकर्ताओं को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई थी। याचिकाकर्ताओं को मृतक की आय के बराबर कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई थी। वास्तव में, उन्हें कोई धनराशि दी ही नहीं गई थी। उन्हें केवल रोजगार प्रदान किया गया था और उस रोजगार से उन्हें वेतन के रूप में जो राशि प्राप्त होती है, वह उनके द्वारा अपने श्रम से अर्जित की जाती है। ऐसे मामलों में आय की हानि को समायोजित (set off) नहीं माना जा सकता, क्योंकि याचिकाकर्ता स्वयं अपनी आजीविका अर्जित कर रहे होते हैं। अतः हमारा विचार है कि अनुकंपा नियुक्ति से

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

याचिकाकर्ताओं द्वारा अर्जित की गई आय को अधिनियम के अंतर्गत उन्हें देय प्रतिकर की राशि में से घटाया नहीं जा सकता।

23. वर्तमान मामलों में हमारे समक्ष प्रतिकर आक्षेपित वाहन के स्वामी से दावा किया जा रहा है, जो उस नियोक्ता से भिन्न है जिसने मृतक/घायल के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर रोजगार प्रदान किया है। दुर्घटना के कारण प्रतिकर का दावा जिस स्रोत से किया जा रहा है तथा अनुकंपा नियुक्ति जिस स्रोत से प्रदान की गई है, वे दोनों पूर्णतः पृथक हैं और इन दोनों स्रोतों के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। चूँकि अपकृत्यकर्ता द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है, अतः हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने श्रम से या अपनी सेवाएँ प्रदान करके अर्जित की गई कोई भी आय, चाहे वह अनुकंपा नियुक्ति के कारण हो या अन्यथा, अधिनियम के अंतर्गत अपकृत्यकर्ता से प्राप्त होने वाले प्रतिकर की राशि में से घटाई जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारा मत है कि अनुकंपा नियुक्ति से प्राप्त होने वाला वित्तीय लाभ किसी भी स्थिति में उस प्रतिकर राशि से घटाया नहीं जा सकता, जो आक्षेपित वाहन के स्वामी/चालक अथवा बीमाकर्ता द्वारा देय है।

26. यह भी स्पष्ट है कि अधिकरण ने इस आधार पर मृतका के भविष्यगत संभावनाओं के संबंध में कोई प्रतिकर प्रदान नहीं किया कि मृतका के पति को ₹23,632/- प्रतिमाह की पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो रही थी तथा मृतका के स्थान पर उसके पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई थी, जो त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उपर्युक्त कारक इस मामले में प्रतिकर के निर्धारण हेतु किसी प्रकार से प्रासंगिक नहीं थे।

27. उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि से यह स्पष्ट है कि मृतका के पति को दी जा रही पारिवारिक पेंशन तथा पुत्र की अनुकंपा नियुक्ति का तथ्य दावा वाद में प्रतिकर के अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निर्धारण हेतु किसी प्रकार से प्रासंगिक नहीं है और इस आधार पर याचिकाकर्ताओं को मृतका की भविष्यगत संभावनाओं के संबंध में प्रतिकर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए था।

28. यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली, 1998 के नियम 220-ए के अनुसार याचिकाकर्ता गण मृतका की आय के 20% की दर से भविष्यगत संभावनाओं के अंतर्गत प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी थे, जिसे अधिकरण द्वारा प्रदान नहीं किया गया है।

29. उपरोक्त वैधानिक विधि एवं उच्चतम न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों के दृष्टिगत याचिकाकर्ताओं को देय प्रतिकर का पुनर्निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

| क्र. सं. | मुआवजे के मद                                       | दी गई राशि (रु. में) | इसके अनुसार              |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1        | मृतक का सकल वार्षिक वेतन                           | 4,81,872/-           | मृतक का वेतन प्रमाण पत्र |
| 2        | इस वेतन पर कम आयकर देय है।                         | 18,800/-             | मृतक का वेतन प्रमाण पत्र |
| 3        | मृतक का शुद्ध वार्षिक वेतन                         | 4,63,072             | मृतक का वेतन प्रमाण पत्र |
| 4        | मृतक के निजी खर्चों के लिए 1/3 की कटौती (2 आश्रित) | 1,54,357/-           | प्रणय सेठी (उपर्युक्त)   |
| 5        | शुद्ध वार्षिक आय जिस पर                            | 3,08,715/-           | प्रणय सेठी               |

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

|    | दावेदार निर्भर थे                                                                     |                                   | (उपर्युक्त)                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | भविष्य की संभावनाओं के रूप में 20% राशि जोड़ें, क्योंकि मृतक की आयु लगभग 58 वर्ष थी।  | 61,743/-                          | UP मोटर वाहन नियम, 1998 का नियम 220-A                                                                       |
| 7  | दावेदारों की मृतक पर कुल वार्षिक निर्भरता                                             | 3,70,458/-                        | प्रणय सेठी (उपर्युक्त)                                                                                      |
| 8  | गुणक (Multiplier) लागू किया गया, क्योंकि दुर्घटना के समय मृतक की आयु लगभग 58 वर्ष थी। | 9                                 | प्रणय सेठी (उपर्युक्त)                                                                                      |
| 9  | दावेदारों को निर्भरता की पूर्ण हानि                                                   | $3,70,458 \times 9 = 33,34,122/-$ | प्रणय सेठी (उपर्युक्त)                                                                                      |
| 10 | साथ का नुकसान @Rs.40,000/- प्रति व्यक्ति, हर 3 साल बाद 10% की वृद्धि (2 दावेदार)      | $48,400 \times 2 = 96,800/-$      | प्रणय सेठी (उपर्युक्त), मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपर्युक्त) और राहुल गणपतराव साबले (उपर्युक्त) |
| 11 | संपत्ति की हानि @ 15,000/-                                                            | 18,150/-                          | प्रणय सेठी                                                                                                  |

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



|    |                                                                        |             |                           |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
|    | रुपये, जो हर 3 साल बाद 10% बढ़ जाती है।                                |             | (उपर्युक्त)               |
| 12 | अंतिम संस्कार का खर्च @ 15,000 रुपये, जो हर 3 साल बाद 10% बढ़ जाता है। | 18,150/-    | प्रणय सेठी<br>(उपर्युक्त) |
| 13 | सम्पूर्ण प्रतिकर                                                       | 34,67,222/- |                           |

30. इस प्रकार, याचिकाकर्ता गण ₹34,67,222/- की कुल प्रतिकर राशि, दावा याचिका प्रस्तुत किए जाने की तिथि से वास्तविक भुगतान तक 7% वार्षिक ब्याज सहित, प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जिसका भुगतान आक्षेपित बस संख्या UP53-BT-7702 के बीमाकर्ता द्वारा किया जाएगा।

31. तदनुसार, अपील अनुमन्य की जाती है। अधिकरण के पुरस्कार में उपर्युक्त सीमा तक संशोधन किया जाता है।

32. यदि बीमा कंपनी द्वारा पूर्व में कोई राशि अदा की गई है, तो बीमा कंपनी उसे समायोजित करने की अधिकारी होगी। बीमा कंपनी को निर्देशित किया जाता है कि वह बड़ी हुई प्रतिकर राशि को दो माह के भीतर संबंधित अधिकरण के समक्ष जमा करे। अधिकरण याचिकाकर्ताओं की आयु एवं आश्रितता को दृष्टिगत रखते हुए बड़ी हुई प्रतिकर राशि का अनुपातिक रूप से वितरण करने के लिए स्वतंत्र होगा।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



दिनांक: 16 जनवरी, 2026

मयंक

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।